D-Legal-ICDS/F-15-32

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ 15(7)(5) विधि/लाईट्स/आईसीडीएस./16 15516-48 जयपुर, दिनांक 18-11-16

उप निदेशक (District Level Nodal Officer for LITES)
महिला एवं बाल विकास विभाग।
समस्त।

विषयः— वैबसाईट (Lites) के सन्दर्भ में विभागीय वादकरण की **समीक्षा बैठक** बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको निर्देश दिये जाते है कि आप एवं आपके अधीनस्थ कार्यालय में बतौर प्रभारी अधिकारी आवंटित विभिन्न न्यायालय प्रकरणों में राज्य सरकार के विरुद्ध एवं दायर सभी लम्बित विभागीय वादकरणो की सूचनाए न्याय विभाग की वैबसाईट पर निर्धारित सभी (1 से 5 तक) प्रपत्रो में नियमित रूप सें फीड/अपडेट करवाना सुनिश्चित करें।

रेड केटेगरी के प्रकरणों (यथा 10 वर्ष एवं उससे अधिक वर्षो के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादकरणों) को लाईट्स में फीड/अपडेट करना सुनिश्चित करें तथा दिन–प्रतिदिन पैरवीरत अभिभाषक से सम्पर्क कर अपेक्षित कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में निर्णय हो गया है उनको लाईट्स पर अपडेट् करते हुए निर्णय की प्रति निदेशालय को प्रेषित करें।

विभागीय लम्बित वादकरणो को LITES में फीड/अपडेट,रेड केटेगिरी प्रकरणो एवं मासिक समीक्षा रिपोर्ट(माह नबम्वर 2016 तक) के सन्दर्भ में **State Level Nodal Officer for LITES (अघोहस्ताक्षरकर्ता) द्वारा District litigation in charge for LITES** के साथ **समीक्षा हेतु दिनांक 30.11.2016 प्रातः 10.30 बजे निदेशालय के मिटिग हॉल** में समीक्षा बैठक निर्धारित की गई हैं।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि नियत तिथि एवं समय पर आवश्यक रूप से अद्यतन सूचना सहित समीक्षा बैठक में भाग लेने हेतु निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं में मिटिग हॉल में उपस्थित होंवें।

उक्त तिथि से पूर्व अद्यतन सूचना हेतु आप सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों की जिला स्तर पर बैठक कर लेवें।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 15(7)(5) विधि/लाईट्स/आईसीडीएस./16 15549-51 जयपुर, दिनांक 18-11-16

प्रतिलिपिः—1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाए, राजस्थान जयपुर ।
2. उप निदेशक एवं एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को तत्काल विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. केयर टेकर, मुख्यालय को आवश्यक व्यवस्था की कार्यवाही हेतु।

अति.निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर